पुलिस ने वन्यजीव तस्कर पकड़ कर किए 45 कछुए बरामद

- बैग में भरकर भरतपुर से लाया, तीन राज्यों में करते थे सप्लाई

जयपुर। रामगंज थाना पुलिस ने वन्यजीव तस्करी मामले में अंतरराज्यीय गैंग के मेंबर को गिरफ्तार किया है। आरोपी तस्करी के कब्जे से भरतपुर से बैग में भरकर लाए 45 कछुए बरामद किए गए है। पूछताछ में राजस्थान सहित तीन राज्यों में कछुओं की सप्लाई करना आरोपी ने स्वीकार किया है। पुलिस फिलहाल गिरफ्तार आरोपी तस्कर से पूछताछ कर रही है।

डीसीपी उत्तर राशी डोगरा डूडी ने बताया कि वन्य जीव तस्करी में आरोपी सोनू (37) निवासी मथुरा गेट भरतपुर हाल कली का भट्टा गलता गेट को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से मिले बैग से 45 कछुओं को जब्त किया है। वन्यजीवों की अवैध रूप से तस्करी कर मोटा पैसा कमाने की लगातार सूचना मिल रही थी। जिला स्पेशल टीम जयपुर उत्तर(डीएसटी) के हेड कॉन्स्टेबल सुरेन्द्र पाल सिंह ने सूचना को डबलप किया। मंगलवार दोपहर मुखबिर से सूचना मिली कि एक लड़का बाबू का टीबा चैपड़ी तोपखाना हुजुरी में बैग लटका कर घूम रहा है। उसके बैग में बड़ी संख्या में कछुए रखे है। तस्करी कर लाए कछुओं को बेचने की फिराक में घूम रहा है। डीसीएटी प्रभारी दिलीप सोनी व एसएचओ रामगंज देवेन्द्र प्रताप वर्मा के नेतृत्व में टीम ने घेराबंद कर संदिग्ध को पकड़ा। तलाशी लेने पर बैग में कछुए भरे मिले। पुलिस ने आरोपी सोनू को वन्यजीव तस्करी में गिरफ्तार कर उसके कब्जे से मिले 45 कछुओं को जब्त किया गया। पूछताछ में सामने आया है कि वह भरतपुर इलाके से कछुआ की अवैध रूप से बड़े स्तर पर तस्करी करने वली अंतरराज्यीय गैंग का मेंबर है। वह तौफिक नाम के व्यक्ति से खरीदकर कछुओं को खरीदकर लाया था। तस्करी कर कछुओं की सप्लाई जयपुर, अजमेर, सिरोही, दिल्ली और हरियाणा आदि स्थानों पर करनी थी। इनसे कमाए मोटे प्रॉफिट से वह नशे की लत व अय्याशी की पूर्ति करना है।

राज्य कर्मचारी महासंघ ने कलेक्ट्रट पर प्रदर्शन किया

जयपुर। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के बैनर तले मंगलवार को जयपुर जिला कलेक्ट्रेट सर्किल परमहासंघ से संबद्ध विभिन्न घटक संगठनों के प्रदेश एवम जिला कार्यकर्तासैकड़ों की संख्या में पहुंचे। और नारेबाजी करते कलेक्ट्रेट सर्किल क़े चारो ओर विरोध जुलूस निकाला। इसके बाद महासंघ जिलाध्यक्ष के के यादव, मुख्य जिला मंत्री सज्जन सोनी, कैलाश दादरवाल एवम जयपुर संभाग अध्यक्ष विकास शर्मा के नेतृत्व मे जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री और एवम मुख्य सचिव के नाम 17 सूत्रीय मांगपत्र ज्ञापन सोपा। इस अवसर पर प्रदर्शन में शामिल हुए संरक्षक सियाराम शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र राना, मुख्य महामंत्री नवीन शर्मा, महामंत्री विपिन शर्मा एवं प्रमुख सलाहकार शशि भूषण शर्मा ने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य के समस्त विभागो में कार्यरत 6। लाख से अधिक नियमित एवम लगभग तीन लाख अनियमित कर्मचरियो की ज्वलंत समस्याओं का समय रहते समाधान के लिए राज्य सरकार को सजग होना होगा।

एस.ओ.जी. ने एक और उप निरीक्षक को गिरफ्तार किया

आरोपी उप निरीक्षक मोनिका

जयपुर। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने कार्रवाई करते हुए उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में एक और उप निरीक्षक पुलिस (प्रोबेशनर) को गिरफ्तार किया है। फिलहाल एसओजी की टीम पूछताछ करने में जुटी है।

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एटीएस और एसओजी वीके सिंह ने बताया कि उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2021 में चयनित उप निरीक्षक पुलिस (प्रोबेशनर) मोनिका (25) निवासी नवलगढ़ जिला झुंझुनू हाल उप निरीक्षक पुलिस (प्रशिक्षु) पुलिस लाईन झुन्झुनू को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार आरोपित मोनिका ने ब्लूटूथ डिवाइस द्वारा नकल गिरोह के सरगना पौरव कालेर से 15 लाख रुपये में परीक्षा से पूर्व ब्लूटूथ के माध्यम से पेपर पढवाने के लिए सौदा किया। आरोपित मोनिका की उप निरीक्षक पुलिस की परीक्षा 15 सितम्बर 2021 को अजमेर में थी। पौरव कालेर ने ब्लूटूथ के माध्यम से मोनिका को उप निरीक्षक पुलिस की लिखित परीक्षा की दोनों पारियों का पेपर पढ़ाया। जिसके फलस्वरूप मोनिका ने उक्त परीक्षा के हिन्दी विषय में 200 में से 184 अंक तथा सामान्य ज्ञान विषय में 200 में से 161 अंक प्राप्त किए। आरोपित मोनिका को साक्षात्कार में मात्र 15 अंक प्राप्त हुए। मोनिका का उप निरीक्षक पुलिस के पद पर मेरिट क्रमांक 34 पर चयन हुआ। इस के लिए मोनिका ने पौरव कालेर को 15 लाख रुपये दिए।

एसओजी ने पौरव कालेर को गिरफ्तार करने पर मोनिका राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर से फरार हो गई। जिसे आवंटित जिला झुंझुनू में ज्वाइन करने पर एसओजी कार्यालय में पूछताछ के गिरफ्तार किया गया।

41 लाख के चैक बाउंस के मामले में अभियुक्त को दोषीमुक्त करार दिया

अधिवक्ता श्वेताभ सिंघल

- इस मामले में अभियुक्त राकेश मेहरचन्दानी की ओर से श्वेताभ सिंघल ने पैरवी की

जयपुर। जयपुर महानगर-प्रथम के वरिष्ठ न्याय मजिस्ट्रेट सीमा रानी ने 41 लाख के चैक बाउंस के मामले में आरोपी को पूरी तरह दोष मुक्त किया है। न्यायालय ने यह आदेश राजेश जैन बनाम राकेश महरचन्दानी के मामले पर सुनवाई करते हुए दी। इस मामले में आरोपी के तरफ से मुख्यत: पैरवी अधिवक्ता श्वेताभ सिंघल की ओर से की गई।

इस मामले के तथ्य के अनुसार परिवादी राजेश जैन और अभियुक्त राकेश मेहरचन्दानी के मध्यम वर्ष 2015 में किया गया था। इस इकरारनामा के अचल सम्पत्ति, गैरेज में बनी दुकान के संदर्भ में निष्पादित किया गया। इस संदर्भ में परिवादी द्वारा 25 लाख का अग्रिम भुगतान किया गया था। लेकिन अभियुक्त द्वारा इकरारनामा की पालना नहीं की गई। जिसके चलते परिवादी द्वारा अभियुक्त से बेचान के लिये दी गई अग्रिम राशि कई बार वापस मांगी गई और अभियुक्त को तलब किया गया। तत्पश्चात अभियुक्त ने 25 मई 2018 को परिवादी को अंतिम भुगतान के रूप में 41 लाख रुपये का चैक सौंपा। परंतु यह चैक बाउंस हो गया।

जब यह मामला अदालत में पहुंचा, तो अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता श्वेताभ सिंघल द्वारा बताया गया कि परिवादी और अभियुक्त के बीच में इकरारनामे के अनुसार केवल 25 लाख रुपये की राशि अग्रिम भुगतान के रूप में दी गई थी। और परिवादी कहीं भी यह साबित नहीं कर पाया कि अभियुक्त को 41 लाख रुपये की राशि उसे लौटानी थी। इसके अलावा इकरारनामे में कहीं भी यह लिखा नहीं गया है कि अभियुक्त के द्वारा किये गये अंतिम भुगतान में हर्जे-खर्चे की राशि भी जोड़ी जायेगी। इसके अलावा अधिवक्ता श्वेताभ सिंघल ने अदालत को बताया कि परिवादी द्वारा दिये साक्ष्य अभियुक्त को पूरी दोषी करार देने में असफल है।

परिणाम स्वरूप यह न्यायालय अभियुक्त राकेश मेहरचंदानी को धारा 138 एनआई एक्ट 1881 के अपराध के आरोप से संदेह का लाभ देकर दोष मुक्त किया जाना उचित समझता है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त के न्यायालय के समक्ष अपनी उपस्थिति बाबत पूर्व में प्रस्तुत जमानत मुचलके धारा 437ए दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आगामी 6 माह तक प्रभावी रहेंगे।

राजस्थान दिवस पर युवा और महिला वर्ग को राज्य सरकार देगी सौगातें : भजनलाल शर्मा

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि आगामी राजस्थान दिवस (30 मार्च) को लेकर राज्य सरकार बड़े स्तर पर प्रदेश के विभिन्न वर्गों के लिए कार्यक्रम आयोजित करेगी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार सुशासन के जरिए विकसित राजस्थान के लक्ष्य को हासिल करने के लिए युवा, किसान, महिला और गरीब वर्ग को विभिन्न सौगातें देगी।

शर्मा ने कहा कि राजस्थान के युवाओं के सरकारी नौकरियों में रोजगार के सपने को साकार करते हुए रोजगार उत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे।जिला मुख्यालयों पर रोजगार मेला भी आयोजित किया जाएगा।उन्होंने कहा कि स्कील नीति व युवा नीति भी लायी जाएगी, जिससे युवाओं के सपने साकार हो सकेंगे। सभी जिला मुख्यालयों पर ''रन फॉर फिट राजस्थान'' का आयोजन होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार महिला सशक्तीकरण के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता से अहम निर्णय ले रही है। राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की कड़ी में महिला वर्ग को भी विभिन्न योजनाओं के तहत लाभान्वित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत डीबीटी की जाएगी।

छह पुलिसकर्मी कांस्टेबल ऑफ दी मंथ के अवार्ड से सम्मानित

जयपुर। जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसफ ने मंगलवार को पुलिस आयुक्तालय पर आयोजित कार्यक्रम में उत्कृष्ट, सराहनीय, मेहनत, लगन एवं समर्पण से कार्य करने वाले छह पुलिसकर्मियों को कांस्टेबल ऑफ दी मंथ के अवार्ड से सम्मानित किया। फरवरी माह का कांस्टेबल ऑफ दी मंथ पुरस्कार के लिए पूर्व जिले के प्रतापनगर थाने के कांस्टेबल गणेश, बिन्दायका थाने के संदीप कुमार, जालूपुरा थाने के कांस्टेबल शिवराज चैयल, सांगानेर सदर थाने के कांस्टेबल प्रेम चैधरी, यातायात पुलिस के कांस्टेबल रणजीत व कांस्टेबल सीताराम को सम्मानित किया।

शांति धारीवाल व महेश जोशी सहित छह को वापस जारी किए नोटिस

- तत्कालीन विधानसभाध्यक्ष की ओर से कांग्रेस के तत्कालीन 81 एमएलए की ओर से 25 सितंबर 2022 को दिये इस्तीफों पर निर्णय नहीं करने और 113 दिन देरी से इन्हें अस्वीकार करने के मामले में नोटिस की तामील नहीं हुई थी

जयपुर। हाईकोर्ट ने राजस्थान विधानसभा में तत्कालीन स्पीकर की ओर से कांग्रेस के तत्कालीन 81 एमएलए की ओर से 25 सितंबर 2022 को दिये इस्तीफों पर निर्णय नहीं करने और 113 दिन देरी से इन्हें अस्वीकार करने के मामले में पूर्व मंत्री शांति धारीवाल सहित छह को नोटिस की तामील नहीं होने पर उन्हें पुन: नोटिस जारी करने के लिए कहा है। अदालत ने जिन अन्य को नोटिस के लिए कहा है उनमें महेश जोशी, रफीक खान, महेन्द्र चौधरी, रामलाल जाट व संयम लोढा शामिल हैं। जस्टिस इन्द्रजीत सिंह व प्रमिल कुमार माथुर की खंडपीठ ने यह आदेश बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड की जनहित याचिका पर दिए।

सुनवाई के दौरान राठौड की ओर से अदालत को बताया कि मामले में शांति धारीवाल सहित जिन नेताओं को पक्षकार बनाया था, उन्हें नोटिस की तामील नहीं हो पाई है। इसलिए इन्हें नए सिरे से नोटिस जारी किए जाए। जिस पर खंडपीठ ने धारीवाल सहित 6 को नोटिस जारी किए। पिछली सुनवाई पर याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया था कि तत्कालीन 75 एमएलए का कहना है कि उन्होंने स्वेच्छा से इस्तीफों पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, तो स्पीकर को इस्तीफा सौंपने वाले छह एमएलए शांति धारीवाल, महेश जोशी, संयम लोढ़ा, रफीक खान, महेन्द्र चौधरी व रामलाल जाट से यह पूछना चाहिए कि उनके पास बाकी 75 एमएलए के इस्तीफे कहां से आए।

आध्यात्मिकता, विज्ञान और संस्कृति का संगम है संस्कृत : आचार्य बालकृष्ण

केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली एवं पतंजलि विश्वविद्यालय, हरिद्वार के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित 62वीं अखिल भारतीय शास्त्र स्पर्धा का उद्घाटन किया गया।

हरिद्वार। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय,नई दिल्ली एवं पतंजलि विश्वविद्यालय,हरिद्वार के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित 62वीं अखिल भारतीय शास्त्र स्पर्धा का आयोजन 18 से 21 मार्च तक किया जा रहा है।

उद्घाटन सत्र में पतंजलि विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य बालकृष्ण ने बतौर मुख्य अतिथि सभागार को संबोधित करते हुए कहा कि संस्कृत केवल एक प्राचीन भाषा नहीं, बल्कि आध्यत्मिकता, विज्ञान और संस्कृति का अद्भुत संगम है। संस्कृत हमारी मूल भाषा है, जो सत्य और प्रामाणिकता पर आधारित है। ऐसे आयोजनों के माध्यम से हम इस अमूल्य धरोहर को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने में सफल होंगे।

उन्होंने इस बात पर बल दिया कि ज्ञान और कलाओं की आधारशिला संस्कृत ही है। उन्होंने कहा कि भारतीय ज्ञान परंपरा बाहरी आक्रमणों के कारण अनेक चुनौतियों और षड्यंत्रों से गुजरी है,लेकिन इसके बावजूद हमारी संस्कृति,संस्कृत भाषा और शास्त्र आज भी प्रासंगिक और सशक्त हैं।

इस अवसर पर केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय,नई दिल्ली के कुलपति प्रो. श्रीनिवास वरखेड़ी ने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में कहा कि संस्कृत भाषा केवल एक सम्प्रेषण का माध्यम नहीं,बल्कि भारतीय संस्कृति की आत्मा है। उन्होंने कहा कि यह अखिल भारतीय शस्त्रीय स्पर्धा संस्कृत भाषा के संरक्षण और प्रचार-प्रसार के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। इस प्रतियोगिता के माध्यम से विद्यार्थियों को वैदिक साहित्य, दर्शन, व्याकरण, न्याय, ज्योतिष, साहित्य और संगीत जैसी विविध विधाओं में न केवल अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने का अवसर प्राप्त होता है,बल्कि वे एक दूसरे से सीखकर संस्कृत के गूढ़ रहस्यों में भी निपुण बनते हैं। इस अवसर पर पतंजलि विश्वविद्यालय के मानविकी एवं प्राच्य विद्या संकायाध्यक्ष एवं कुलानुशासिका प्रो. साध्वी देवप्रिया,पतंजलि विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति प्रो. मयंक कुमार अग्रवाल,दूरशिक्षा निदेशक प्रो. सत्येंद्र मित्तल,कुलसचिव आलोक कुमार सिंह,कुलानुशासक स्वामी आर्षदेव सहित पतंजलि विश्वविद्यालय,हरिद्वार तथा केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय,नई दिल्ली के संकाय सदस्य,विद्यार्थी,शोधार्थी और देश के कोने-कोने से पधारे विद्वतजन उपस्थित रहे। कार्यक्रम का मंच संचालन प्रो. पवन व्यास ने किया।

नम्बर मिलाइए
9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि स्व.श्री उपेंद्र सिंह सिराधना के नाम से RTO मै वाहन संख्या RJ 14 ZC 7570 रजिस्टर्ड है। श्री उपेंद्र सिंह सिराधना की मृत्यु दिनांक 05.10.2020 को एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती डॉ. अलका सिंह सिराधना की मृत्यु दिनांक 07.10.2018 को हो गई थी। उनकी मृत्यु पश्चात अब उक्त वाहन को मैं अपने नाम से हस्तांतरित करवा रहा हूँ। अतः इस प्रकरण में किसी व्यक्ति, संस्था, फर्म को कोई आपत्ति हो तो सूचना के प्रकाशित होने के 07 दिवस के अंदर RTO कार्यालय झालाना डूंगरी में संपर्क करें।
जन्मेजय सिंह सिराधना, पता-154, हीरापुरा पावर हाउस के पास कनक विहार अजमेर रोड़, जयपुर (राज.)

VACANCIES: ARMY PRE PRIMARY SCHOOL, NIWARU
STAFF REQUIRED

1. Army Pre Primary School, Niwaru, Jaipur invites applications for post of teachers and administrative staff on contractual basis.

Sr. No	Vacancies for	No. of Vacancy	Age limit	Qualification
(a)	Teacher	02	Minimum age 25 Yrs	(a) Graduate with NTT/ B.Ed from any recognized institute with minimum 50% Marks (b) Basic Knowledge of computer. (C) Minimum one year teaching experience.
(b)	Ayah	01		(a) Minimum 8th class passed. (b) Minimum one year experience of the job.

2. Last date of submission of application is 22 Mar 2025 at APPS, Niwaru alongwith photocopy of above mentioned documents.
3. For query contact No 0141-2982268
4. E-mail id – appsniwaru45ib@gmail.com

कार्यालय तहसीलदार तहसील सांगानेर
कमाक-रीडर/25/178 दिनांक :- 18/03/25
आम सूचना
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि ग्राम श्योसिंहपुरा उर्फ कल्लावाला पटवार हल्का खेडी गोकुलपुरा के खाता सं0 85 मे खसरा नं0 181, 184, 185, 186, 187, 189, 190, 191,192, 197,198,200/622,210,213,214,379,547/623,548/624, 549/625 550/626 कुल किता 20 कुल रकबा 7.0600 है0 मे हि0 1/2 खाता सं0 46 के ख0 नं0 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367/632, 380, 385, 376/619 कुल किता 10 मे हि0 1/2, खाता सं0 88 मे ख0 नं0 294, 308, 309, 310, 312/651,318 मे हि0 1/8 खाता सं0 89 मे ख0 नं0 317, 319, 320, 334/635, 355/636 मे हि0 1/8, खाता सं0 87 मे ख0 नं0 211 हि0 1/8, खाता सं0 50 में ख0 नं0 235 मे हि0 1/24, खाता सं0 91 मे ख0 नं0 274, 275, 276, 278, 283 हि0 1/8, खाता सं0 73 मे ख0 नं0 284 मे हि0 1/8, खाता सं0 नया 90 मे ख0 नं0 281 हि0 1/16, खाता सं0 86 मे ख0 नं0 302 हि0 1/16 की खातेदारी मिठ्ठनलाल पुत्र रामसहाय जाति महाजन निवासी गाम श्योसिंहपुरा उर्फ कल्लावाला के नाम दर्ज रिकार्ड है। उक्त खसरा नंबरान के संबध मे नोटेरी सत्यापित वसीयत के आधार पर नामांतरकरण खोलने बाबत प्रार्थी सोहनलाल अग्रवाल पुत्र स्व0 मिठ्ठनलाल निवासी म0 नं0 411 मोतीडूंगरी रोड नायला हाउस के सामने द्वारा प्रा0 पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो इस न्यायालय में विचाराधीन है, उक्त खसरा नंबरान तथा वसीयत के संबंध में किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो कार्यालय की विज्ञिप्त प्रकाशन के 07 दिवस के भीतर इस कार्यालय में प्रस्तुत करें। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्राप्त नही होने पर आवेदक के पक्ष में नामांतरकरण की कार्यवाही नियमानुसार कर दी जावेगी।
तहसीलदार, तहसील-सांगानेर (जयपुर)

कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति (फ.स.), चौमूँ जयपुर राधाबाग कॉलोनी सीकर रोड चौमूँ
PH. NO. 01423-220047 FAX NO. 01423-223873,
Email:- KUMS.CHOMUFV@rajasthan.gov.in
क्रमांक: 414-422 दिनांक: 18/03/2025
सीमित निविदा सूचना
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस मण्डी समिति में कार्यालय उपयोग हेतु संलग्न शिड्यूल ऑफ रेट्स में वर्णित कम्प्युटर ऑल इन वन, लैपटॉप, प्रिन्टर मय स्केनर ब्लैक एण्ड व्हाईट, प्रिन्टर मय स्केनर कलर, यूपीएस आदि सामग्री सप्लाई हेतु इच्छुक जी.एस.टी. पंजीकृत फर्मों से दिनांक 25.03.2025 को प्रातः 11:00 बजे तक निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न शिड्यूल ऑफ रेटस में दरें अंकित करते हुए बन्द लिफाफे मे निविदायें आमंत्रित की जाती है। प्राप्त निविदाओं को उसी दिन दोपहर 12.30 बजे उपस्थित निविदाताओं (यदि कोई उपस्थित हों) के समक्ष खोला जायेगा। निविदा स्वीकार / अस्वीकार करने का अधिकार मण्डी समिति के पास सुरक्षित रहेगा। निविदा से संबंधित समस्त जानकारी किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में कार्यालय में उपस्थित हो कर या विभागीय वेबसाईट agriculture.rajasthan.gov.in/mandi तथा sppp.rajasthan.gov.in पर अवलोकन की जा सकती है।
सचिव
कृषि उपज मंडी समिति (फ.स.). चौमूं जयपुर

Ranthambhore Sevika Hospital
Vinayak Nagar, Sawai Madhopur
Notice
This is to inform you that Medical record for the Year 2017-18 is being destroyed. Any person having any objection may kindly contact the hospital within 30 days of the notice.
By Order-Rupinder Kaur, ED
For-PRAKRATIK SOCIETY
Authorised Signatory

राजस्थान आवासन मण्डल, वृत-तृतीय
जे.एल.एन.मार्ग, जवाहर सर्किल के पास जयपुर-0141-4901663
क्रमांक-644 दिनांक-03/03/25
आम जाहिर सूचना
राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर द्वारा कार्यालय आदेश कमांक 676 दिनांक 12.05.2008 जारी कर आवास संख्या-1/H/275 इन्दिरा गांधी नगर, जगतपुरा जयपुर क्षेत्रफल 324.000 वर्ग मीटर का हस्तान्तरण श्रीमती श्री देवी शर्मा पत्नी स्व0श्री सहदेव शर्मा के पक्ष मे किया गया था। उनके द्वारा उक्त आवास के पंजीयन प्रपत्रो का निष्पादन कार्यालय उपजीवक जयपुर चतुर्थ मे दिनांक 23/05/2008 को करवाया गया। श्रीमती श्रीदेवी शर्मा की मृत्यु दिनांक 24/08/2024 को जाने के कारण श्री प्रशान्त शर्मा पुत्र स्व.श्री सहदेव शर्मा के द्वारा आवेदन पत्र के साथ चितपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं रजिस्टर्ड वसीयतनामा की छाया प्रति आदि प्रस्तुत कर उक्त आवास का प्रतिस्थापन अपने नाम से करने का निवेदन किया गया है। अतः उक्त आवास के प्रतिस्थापन के संबध मे किसी भी व्यक्ति / बैंक / संस्था को कोई आपत्ति हो तो विज्ञिप्त प्रकाशन के 07 दिवस मे जाधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय मे व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर साक्ष्य सहित अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवे, अन्यथा उक्त अवधि मे कोई आपत्ति प्राप्त नही होने पर उक्त आवेदनकर्ता **श्री प्रशान्त शर्मा पुत्र स्व.श्री सहदेव शर्मा** के नाम से उक्त आवास के हस्तान्तरण की कर्यवाही कर दी जावेगी।
सम्पदा प्रबंधक, वृत तृतीय, रा.आ.मण्डल, जयपुर

आम सूचना
यह कि मेरा अभिभाष्य राजेन्द्र कुमार मीणा पुत्र श्री घीसालाल मीणा वार्ड नं.11 खटीको का मौहल्ला, जोबनेर तहसील-जोबनेर जिला-जयपुर का निवासी है।
मेरे अभिभाष्य के बताये अनुसार मेरे अभिभाष्य द्वारा वाके ग्राम चारणवास पटवार हल्का भोजपुराकॅला, तहसील-हिगोंनिया जिला जयपुर के खसरा नं.116, 117, 118, 120 कुल रकबा 6.2846 हैक्टेयर में हिस्सा 1/6 को जरिए विक्रय पत्र उपपंजीयक कार्यालय जोबनेर में पंजीयन करवाया गया है। यह कि नामान्तरण संख्या 345 दिनांक 22.2.2025 जरिए विक्रय पत्र द्वारा मेरे अभिभाष्य के रिकॉडेड काश्तकार के रूप में दर्ज नामान्तरण पर किसी भी काश्तकार या अन्य को कोई आपत्ति हो तो 30 दिवस के भीतर अपनी आपत्ति पेश करें अन्यथा नियत समयावधी के बाद पेश आपत्ति प्रभावहीन व शून्य मानी जाएगी।
रामावतार सिंह (एडवोकेट)
अधिनस्थ न्यायालय, जोबनेर, सांभरलेक एवं राज. उच्च न्यायालय, जयपुर
दिनांक:18.03.2025 मो.9414389969

क्रमांक-007 दिनांक-11.03.2025
प्रेस विज्ञप्ति
यह कि सर्वसाधारण व हर खास व आम को सूचित किया जाता है कि मेरा बडा पुत्र अर्जुन सिंह फोर व्हीलर गाडीयों का मैकेनिक है तथा मेरे पुत्र ने पारिवारिक स्तर व सामाजिक स्तर पर गलत कदम उठा लिया है ओर उसके द्वारा फुलेरा कस्बा व आस-पास या अन्य किसी भी व्यक्ति, संस्था से किसी भी प्रकार से कोई नकद उधार राशि, चेक जारी कर प्राप्त राशियों या अन्य किसी भी प्रकार से कोई राशि, वित्तीय राशि प्राप्ति की है तो उससे हम परिवारजन जिनमें हम 1 भरतलाल पुत्र औंकारमल, 2- आकाश उर्फ करण सिंह, 3- विरेन्द्र सिंह व हमारे परिवार के किसी भी सदस्य से मेरे बडे पुत्र अर्जुन सिंह का किसी भी प्रकार से कोई लेना देना या सम्बन्ध शेष नही है ओर आज दिन बाद वह मेरे पुत्र के रूप में जाना पहचाना नही जाएगा, तथा हमारे परिवार मेरे पुत्र अर्जुन सिंह का हमारे परिवार व हमारी सम्पत्ति, नकद राशियों व अन्य सम्बन्धों से हमेशा हमेशा के लिये बेदखली/सम्बन्ध विच्छेद करते है। ओर मेरे पुत्र में कोई भी व्यक्ति ओर व्यक्ति विशेष कोई उद्गदारी करता है तो वह स्वयं जिम्मेदार होगा, उसकी हमारी कोई जिम्मेदारी नही है ओर ना ही भविष्य में होगी।
भरतलाल पुत्र औंकारमल जाति ग्वारिया निवासी ग्वारिया मौहल्ला, खारडा मौहल्ला, वॉर्ड नंबर 24, सब्जी मण्डी, सॉभर लेक तहसील फुलेरा पुलिस थाना फुलेरा जिला जयपुर राजस्थान

नाम परिवर्तन
मैने अपना नाम राणा प्रगति धीरज से बदलकर प्रगति राणा पुत्री श्री धीरज राणा कर लिया है। अतः भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जाये। पताः फ्लैट नं. 504, शिवा हाईटस, प्लाट नं. आर-5, शिव एन्क्लेव गणपतपुरा, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान- 302020

मैंने अपना नाम रंजना देवी से बदलकर लड्डू देवी पत्नी स्व.श्री हेमराज शर्मा रख लिया है। निवासी 137, शक्ति नगर, निवारू रोड, झोटवाडा, जयपुर-। भविष्य में इसी नाम से जाना व पहचाना जावे।

I Snehlata Khandelwal W/o Deepak Khandelwal R/o 230 Gayatri Nagar-B Maharani farm Durgapura Jaipur Declare that in my Daughter's (Ahana Khandelwal) education records my name is entered wrongly as Sneha Khandelwal. My correct name is Snehlata Khandelwal Vide affidavit 04.02.2025 Jaipur

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 108/2025
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)
चूंकि रेणु तंवर पत्नी श्री मोहन लाल खिंची निवासी ई-74, मंगलम ग्रांड सिटी, महापुरा, सांगानेर जयपुर ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत रेणु एण्ड मोहन संस चैरिटेबल ट्रस्ट कार्यालय पता ई-74, मंगलम ग्रांड सिटी, महापुरा, सांगानेर जयपुर राजस्थान के सम्बन्ध मे जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।
अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 17.03.25 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइंदा तारीख पेशी 22.05.25
मोहर अदालत
सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग जयपुर

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 110/2025
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)
चूंकि श्री अतुल कुलश्रेष्ठ पुत्र श्री वीरेन्द्र कुलश्रेष्ठ निवासी ई-76, द्वितीय तल, शिव शक्ति नगर, मालवीय नगर, जयपुर ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत एमिनेन्ट इन्टरनेशन स्कूल शिक्षा समिति कार्यालय पता- वंसल पब्लिक स्कूल सेक्टर 17, प्रताप नगर, सांगानेर जयपुर राजस्थान के सम्बन्ध में जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।
अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 17.03.25 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइंदा तारीख पेशी 23.05.25
मोहर अदालत
सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग जयपुर

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
**राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959